

राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राज0 जयपुर

दिनांक :- 21.9.2012

क्रमांक एफ.4 (ई) (1) (6) 2008/अलेसे-111/

आदेश संख्या 193/2012-13

निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकारों, जो वर्तमान में उनके नाम के आगे अंकित विभाग/कार्यालय में अस्थाई कनिष्ठ लेखाकार के पद पर कार्यरत हैं, उन्हें विभागीय आदेश 180/12-13 एवं 181/12-13 दिनांक 12.09.2012 के द्वारा आधारभूत प्रशिक्षण हेतु उनके सामने कॉलम संख्या -5 में अंकित ह0च0मा0राज. लोक प्रशासन संस्थान केन्द्र आवंटित किया गया था, जिन्हें प्रशिक्षण हेतु कॉलम संख्या-6 में अंकित संशोधित केन्द्र आवंटित किया जाता है :-

क्र.सं.	मेरिट क्रमांक	नाम / पिता का नाम सर्वश्री	पदस्थापन कार्यालय का नाम	पूर्व में आवंटित प्रशिक्षण केन्द्र	संशोधित प्रशिक्षण केन्द्र
1	2	3	4	5	6
1.	84	कुलदीप कुमार साकरवाल	जिला परिषद(ग्रा.वि.प्र.) सिरौही	बीकानेर	कोटा
2.	117	राजेश कुमार रैगर	जिला एवं सत्र न्यायालय, सिरौही	बीकानेर	कोटा
3.	54	पदमपति रमन	उपकोषालय, गंगरार(चित्तौड़गढ़)	कोटा	बीकानेर
4.	56	बृजभुषण सिंह	जिला परिषद(नरेंगा), चित्तौड़गढ़	कोटा	जोधपुर
5.	50	चेतराम मेधवाल	जिला उद्योग केन्द्र, चित्तौड़गढ़	कोटा	बीकानेर

उपरोक्त कनिष्ठ लेखाकारों को आदेश दिये जाते हैं कि वे अपने प्रशिक्षण केन्द्र में निर्धारित तिथि 24.09.2012 को 9:30 बजे अनिवार्य रूप से उपस्थित होंगे ।

प्रशिक्षण की समाप्ति पर उपरोक्त सभी कनिष्ठ लेखाकार दर्शाये गये कॉलम संख्या 4 में अंकित पूर्व पदस्थापित विभाग में उपस्थिति देंगे ।



निदेशक

क्रमांक एफ.4 (ई) (1) (6) 2008/अलेसे-111/ 6499 - 6490

दिनांक :- 21.9.2012

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, ह0च0मा0राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर
2. प्रभारी अधिकारी, (योजना) ह0च0मा0स0 राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर
3. संयुक्त निदेशक, ह.च.मा. राज. लोक प्रशासन संस्थान, नागनेचेजी मंदिर के पास, शिवबाडी रोड, बीकानेर
4. संयुक्त निदेशक, ह.च.मा. राज. लोक प्रशासन संस्थान, कलक्ट्रेट परिसर पोस्ट बाक्स संख्या 626, जोधपुर
5. संयुक्त निदेशक, ह.च.मा. राज. लोक प्रशासन संस्थान, के0आर0 20, सिविल लाइन्स, जिला परिषद के पीछे, कोटा ।
6. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....

को प्रेषित कर निवेदन है कि संबंधित कर्मचारी को प्रशिक्षण हेतु कार्यमुक्त करते समय इनका सेवाभिलेख एवं एल0पी0सी0 प्रशिक्षण केन्द्र को भिजवाने की व्यवस्था करें एवं प्रशिक्षण समाप्ति पर कॉलम संख्या 3 में अंकित संबंधित कनिष्ठ लेखाकार को आपके विभाग में कार्यग्रहण करवाकर इस विभाग को सूचित करने का कष्ट करें ।

7. श्री कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय.....

8. निजी सहायक, निदेशक महोदया ।

9. कम्प्यूटर शाखा (वेबसाइट हेतु) ।

10. रक्षित/निजी पत्रावली ।



संयुक्त निदेशक(कार्मिक-II)